सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – दामोदर सिंह आर.ए.एस.

अपील संख्या – 19/2019

राजू पुत्र श्री बदनसिंह उम्र 35 साल जाति जाट(फौजदार) निवासी ग्राम कूम्हां तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।
2. कुक्कुट पुत्र बदनसिंह जाति जाट(फौजदार) निवासी ग्राम कूम्हां तहसील व जिला भरतपुर (राज.)
3. सुखदेई पत्नि बदनसिंह जाति जाट (फौजदार) निवासी ग्राम कूम्हां तहसील व जिला भरतपुर
4. सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां पं.स. सेवर तहसील व जिला भरतपुर

———रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत दाखिला खारिज संख्या 1575 दिनांक 18.09.2019 ग्राम कूम्हां ग्राम पंचायत कूम्हां तहसील व जिला भरतपुर(राज)

आदेश **दिनांक – 24.02.2021**

1. अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10.10.2019 को यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट 1956 आज्ञा सरपंच, ग्राम पंचायत कूम्हां बाबत् नामान्तरकरण संख्या 1575 दिनांक 18.09.2019 इस आशय की पेश की गई है कि अपीलान्ट एवं फॉरमल रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पिता एवं फॉर्मल रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के पति बदनसिंह का स्वर्गवास होने पर बदनसिंह के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1575 दिनांक 18.09.2019 सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां द्वारा खोला गया है। नामान्तरकरण में अपीलान्ट राजू के नाम को बदलकर अटल दर्ज कर दिया है। इस इंद्राज से अपीलान्ट के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2. अपीलान्ट के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड,तथा बिजली के बिल में अपीलान्ट का नाम राजू है। अतः नामान्तकरण मे अटल पुत्र बदनसिंह के स्थान पर राजू पुत्र बदनसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक है

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दाखिल खारिज संख्या 1575 ग्राम कूम्हां तहसील [illegible] दिनांक 18.09.2019 में अटल पुत्र बदनसिंह के स्थान पर राजू पुत्र बदनसिंह दर्ज किया जावे।

अपील मीमों के साथ अपीलान्ट ने नकल नामान्तकरण संख्या 1575 दिनांक 18.09.2019 मतदाता फोटो परिचय पत्र, आधार कार्ड की प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति , नया व पुराना विद्युत बिल, सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां का प्रमाण पत्र एवं बदनसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर तलवी रेस्पोडेन्ट की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 [illegible] सूचना उपस्थित नहीं हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से श्री निरन्जन सिंह एड. उपस्थित हुऐ इन्होंने अपील स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की अपीलान्ट के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस में अपनी अपील के कथनों को दोहराते हुऐ अवगत कराया की अपीलान्ट का सही नाम राजू है जबकि नामान्तरकरण संख्या 1575 में अटल दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्ट के नाम मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्युत बिल में सही नाम राजू पुत्र बदनसिंह अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 05.02.2021 में भी अंकित किया है कि मृतक बदनसिंह के तीन बारिस सुखदेई पत्नि एवं मुकट व राजू पुत्र है। राजू एवं अटल एक ही व्यक्ति है। इसलिये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अटल पुत्र बदनसिंह के स्थान पर राजू पुत्र बदनसिंह दर्ज करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। नामान्तकरण संख्या 1575 ग्राम कूम्हां दिनांक 18.09.2019 बदनसिंह पुत्र भगवत की मृत्यु होने के कारण विरासत के आधार पर अन्य वारिसान मुकुट पुत्र बदनसिंह एवं सुखदेई पत्नि बदनसिंह के साथ ही अटल पुत्र बदनसिंह जाति फौजदार साकिन कूम्हां खातेदार दर्ज किया गया है।

7. सरपंच ग्राम पंचायत बछामदी ने मृतक बदनसिंह के पुत्र का सही नाम राजू होना अंकित किया गया है। राजू एवं अटल एक ही व्यक्ति है। भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं विद्युत बिल में भी राजू पुत्र बदनसिंह दर्ज है। उक्त सभी दस्तावेज से

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का सही नाम राजू है। नामान्तकरण में राजू के स्थान पर अपीलान्ट का गलत नाम दर्ज कर दिया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने नामान्तरकरण पर आज्ञा पारित की गई है। नामान्तरकरण पर पारित आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां निरस्त योग्य है। नामान्तकरण का पुनः निर्णय हेतु प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को प्रति प्रेषित किये जाने के योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण नं. 1575 दिनांक 18.09.2019 पर सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां की आज्ञा निरस्त की जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुऐ पुनः नियमानुसार विधिसम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को पालना हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

नोट:- इस निर्णय की मद क्र. 7 में सरपंच ग्राम पंचायत बछामदी के स्थान पर सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां पढ़ा जावे।
दिनांक - 3-3-2021

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर